अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

पत्रांकः– 291

दिनांकः– 18/2/25

प्रेषक,

ई० देवनाथ प्रसाद,
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल महुआ।

विषयः– शीर्ष MMGSY-NDB योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल महुआ के अधीन Bishui Sah Home Near Transformer Mohan Singh Home Ward No-13 Katarmala (Tender Id 137810) पथ निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

शीर्ष MR3054 योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल महुआ के अधीन Bishui Sah Home Near Transformer Mohan Singh Home Ward No-13 Katarmala (Tender Id 137810) पथ निर्माण कार्य के वित्तीय बीड में सफल निविदाकार Abhishek Raj (603108) को उनके द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 28.80 प्रतिशत कम है पर कुल राशि रू0 30,82,466/– (तीस लाख बेरासी हजार चार सौ छियासठ रूपये) मात्र की लागत पर यह कार्य आवंटित किया जाता है।

2. क्रमांक 1 में अंकित राशि निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य की सम्मिलित राशि है। अनुमोदित परिमाण विपत्र से इसका मिलान कर गणना के पश्चात ही कार्यपालक अभियंता एकरारनामा की कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को देंगे। दरों का अनुमोदन सिर्फ इसी कार्य के लिए है जो भविष्य में पूर्वोद्दाहरण नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल महुआ संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन.एस.सी./पासबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारंटी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी हो उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्य का निष्पादन MMGSY योजनान्तर्गत मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जाएगा।
5. इस कार्य का व्यय MMGSY योजना से मिलनेवाली राशि के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
6. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉर्मेंस सिक्युरिटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
7. उक्त निविदादाता से अद्यतन आयकर, GST स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन स्वच्छता प्रमाण पत्र EPF पार्टनर–शीप डीड मूल में प्राप्त कर तथा डिबार/कालीकृत का जांचोपरान्त नाम नहीं रहने पर ही एकरारनामा की कार्रवाई की जाय।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृत तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एवं संवेदक से कार्य प्रोग्राम एकरारनामा का भाग होगा।
9. कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि संवेदक से एकरारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।
10. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।

Scanned with OKEN Scanner

11. अग्रधन एवं जमानत के रूप में जमा राशि जो कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त की गयी है, का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर एवं स्वयं आश्वस्त होकर ही एकरारनामा करेंगे।
12. अनुमोदित राशि में सभी प्रकार के करों की कटौती की राशि सम्मिलित है।
13. कार्यपालक अभियंता पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर संवेदक को कार्यारम्भ करने हेतु पत्र निर्गत करेंगे। साथ ही पत्र में स्पष्ट रूप से संवेदक को निदेशित करेंगे कि पत्र निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर अगर संवेदक एकरारनामा नहीं करेंगे तो उनका निविदा रद्द कर उनके इस कार्य में जमा अग्रधन की राशि जब्त करते हुए अन्य निविदादाता को कार्य आवंटन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी या इस कार्य के लिए पुनः निविदा मांगी जाएगी। निविदा रद्द करने तथा अग्रधन की राशि जब्त करने की सूचना कार्यपालक अभियंता इस कार्यालय को देंगे।
14. अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के बिना कार्य की मात्रा अथवा राशि में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।
15. नियमानुसार एकरारनामा की प्रतियां स्वीकृत्यादेश हेतु सात दिनों के अन्दर इस कार्यालय में समर्पित करेंगे।
16. कार्य में उपयोग होनेवाले सामग्रियों का दर कार्यपालक अभियंता द्वारा दर्शायी गयी लीड पर आधारित है। यदि उससे कम दूरी से सामग्री स्थल पर लाई जाती है तो उसका दर दूरी के अनुपात में कम कर दिया जाएगा।
17. कार्यपालक अभियंता या उनके प्राधिकृत अभियंता स्थल आदेश पुस्तिका पर विस्तृत आदेश देते हुए कार्य करायेंगे जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को देंगे।
18. पथ सामग्रियों की आपूर्ति कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्धारित उचित स्टैक (थाक) में ली जाएगी जिसका उपयोग कार्यपालक अभियंता के जांच एवं निर्गत आदेश के उपरान्त ही होगी।
19. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन में कार्य नहीं कराया जाएगा।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
21. इस निविदा की राशि में अगर कोई अन्तर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
22. प्रत्येक आवंटन अधियाचना के पूर्व संवेदक को उनके द्वारा निष्पादित कार्यों का अपने अभियंता से मदवार मापी कराकर उनके हस्ताक्षर सहित विपत्र, गुणवत्ता जांच फल एवं संपादित कार्यों के फोटोग्राफ के साथ प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
23. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल महुआ को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4(मु0) विविध–23–291/2014–131 पटना दिनांक–13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करें।
24. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
25. उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–171 अनु0 दिनांक–27.01.2022 एवं निगरानी विभाग का पत्रांक–519 दिनांक–03.11.2021 के निदेशानुसार निविदाकार द्वारा निविदा में संलग्न कागजातों के सत्यापन उपरान्त संतुष्ट हो लेंगे।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/02/25

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अंचल
मुजफ्फरपुर।

18/2/25

Scanned with OKEN Scanner